भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *288
12 मार्च, 2026 को उत्तर देने के लिए

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में तमिलनाडु की क्षमता का दोहन

†*288. श्री सी. एन. अन्नादुरईः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस बात को स्वीकार करती है कि तमिलनाडु के विविधीकृत कृषि आधार, सुदृढ़ डेयरी, मत्स्यपालन, मुर्गीपालन और बागवानी उत्पादन तथा प्रमुख घरेलू और निर्यात बाजारों से इसकी निकटता के दृष्टिगत राज्य में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण क्षमता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसी केंद्रीय योजनाओं और निवेश का ब्यौरा क्या है जिनसे राज्य में खाद्य प्रसंस्करण क्षमता, मूल्य संवर्धन और अवसंरचना निर्माण में सहायता मिल रही है;

(ग) क्या राज्य की क्षमता के बावजूद कोल्ड चेन कवरेज, प्राथमिक प्रसंस्करण, पैकेजिंग और निर्यात-उन्मुख सुविधाओं में कमियां बनी हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या प्रौद्योगिकी, ऋण और बाजार उपलब्ध होने में किसानों, किसान उत्पादक संगठनों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के समक्ष आ रही बाधाओं की जांच के लिए कोई मूल्यांकन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु की खाद्य प्रसंस्करण क्षमता का पूर्ण दोहन करने, फसल कटाई के उपरांत नुकसान को कम करने और किसानों की आय तथा रोजगार बढ़ाने के लिए लक्षित उपाय करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
(श्री चिराग पासवान)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

दिनांक 12 मार्च, 2026 को उत्तर हेतु "खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में तमिलनाडु की क्षमता का दोहन" के संबंध में तारांकित प्रश्न संख्या *288 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ङ): तमिलनाडु में समृद्ध कृषि उत्पादन आधार, मजबूत डेयरी , मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और बागवानी उत्पादन तथा प्रमुख घरेलू और निर्यात बाजारों से निकटता को देखते हुए, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के मजबूत विकास की अपार संभावनाएं हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) तमिलनाडु सहित पूरे देश में अपनी दो केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई), तथा केंद्र प्रायोजित सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के माध्यम से उद्यमियों को संबंधित उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इन योजनाओं के माध्यम से, एमओएफपीआई तमिलनाडु सहित पूरे देश में शीत श्रृंखला सुविधाओं, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और निर्यात-उन्मुख सुविधाओं के निर्माण के लिए अनुदान सहायता प्रदान करके खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को सहयोग देता है।

पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं के अंतर्गत , एमओएफपीआई समय-समय पर जारी की गई अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के आधार पर चयनित उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। एमओएफपीआई ने 31.12.2025 तक तमिलनाडु राज्य में पीएमकेएसवाई की अलग-अलग घटक योजनाओं के अंतर्गत 485.96 करोड़ रुपये की अनुदान राशि के साथ 104 खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं को मंज़ूरी दी है।

पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत , मंत्रालय सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना/उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करता है। तमिलनाडु राज्य में 31.12.2025 तक पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत कुल 17,869 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को 410.20 करोड़ रुपये की सब्सिडी के साथ स्वीकृति दी गई है।

पीएलआईएसएफपीआई का उद्देश्य वैश्विक खाद्य विनिर्माण क्षेत्र में अग्रणी कंपनियों का निर्माण करना और अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय खाद्य उत्पादों के ब्रांडों को बढ़ावा देना है। तमिलनाडु राज्य में पीएलआईएसएफपीआई योजना की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत 19 स्थानों पर 389.53 करोड़ रुपये के निवेश के साथ खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है।

एमओएफपीआई ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) सहित किसानों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के सामने आने वाली चुनौतियों की पहचान करने के लिए समय-समय पर कई आकलन किए हैं। इन आकलनों से प्राप्त सिफारिशों के आधार पर, मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समग्र विकास के लिए समय-समय पर समीक्षा करता है और उचित नीतिगत हस्तक्षेप और योजना संबंधी उपाय लागू करता है।

एमओएफपीआई अपनी योजनाओं के माध्यम से तमिलनाडु सहित पूरे देश में किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) सहित पात्र संस्थाओं को अनुदान सहायता/प्रोत्साहन प्रदान करता है। इन योजनाओं का उद्देश्य खेत से लेकर खुदरा बिक्री तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना का निर्माण करना है, जिसमें भंडारण, परिवहन, बाजार संपर्क आदि शामिल हैं। इससे फसलोत्तर नुकसान को कम करने, किसानों की आय बढ़ाने और गैर-कृषि रोजगार के अवसर सृजित करने में मदद मिलती है।

*****